

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

का.आ. 512 (अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 606 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मि० ओमायल अची मि० अरुणाचलम ट्रस्ट, कोराल मनोर, “ए” भूतल 40-41 सेकेंड मेन रोड, राजा अंनमलाईपुरम, चेन्नई-600028 द्वारा अराकमबाकम में ओयाल अची समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त

12929/04-2

परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है, तथापि, समिति ने केवल संग्रह निधि में दान बढ़ाने की अनुमति ट्रस्ट को दी है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मि० ओमायल अची मि० अरुणाचलम ट्रस्ट, कोराल मनोर, “ए” भूतल 40-41 सेकेंड मेन रोड, राजा अंनमलाईपुरम, चेन्नई-600028 द्वारा अराकमबाकम में ओयाल अची समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने की परियोजना या स्कीम को जो मात्र बावन लाख रुपये की अनुमानित लागत, पैंतालीस लाख रुपये की संग्रह निधि सहित, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 138-2004/फा. सं. एन. सी. 395/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)